

प्रेस विज्ञप्ति

क.भ.नि.सं., मुख्यालय, नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं) का 67 वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में मनाया गया।

श्री सुनील बड़थवाल, केंद्रीय भ.नि. आयुक्त ने श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार और माननीय अतिथि श्री हीरा लाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार का स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सभी गणमान्य व्यक्तियों और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया।

इस अवसर पर, माननीय मंत्री ने अपने हितधारकों के लाभों के लिए क.भ.नि.सं. की तीन महत्वपूर्ण डिजिटल पहलें शुरू कीं-

- 1) **कामगार द्वारा यू.ए.एन. जनरेट करने के लिए ऑनलाइन सुविधा:** अब कोई भी कर्मचारी क.भ.नि.सं. की वेबसाइट पर सीधे यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) प्राप्त कर सकते हैं जो उनका भ.नि., पेंशन और जीवन बीमा लाभ के लिए नामांकन करता है और किसी भी कामगार को केवल यू.ए.एन. के लिए अपने नियोक्ता पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन में सुगमता और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में है।
- 2) क.भ.नि.सं. की डिजीलॉकर वेबसाइट / एप्लिकेशन (एपीपी) में क.भ.नि. पेंशनभोक्ता का पी.पी.ओ., इलेक्ट्रॉनिक पी.पी.ओ. के डिपॉजिटरी बनाने के लिए एनईजीडी के डिजीलॉकर के साथ जुड़ता है, जो व्यक्तिगत पेंशनरों के लिए उपलब्ध है। यह कागज रहित प्रणाली एवं पेंशनभोक्ताओं के लिए जीवन में सुगमता की दिशा में एक कदम है।
- 3) **ई-निरीक्षण:** नियोक्ताओं के साथ क.भ.नि.सं. का डिजिटल इंटरफ़ेस: ईसीआर दायर नहीं करने वाले नियोक्ताओं के उपयोगकर्ता (यूज़र) लॉगिन में ई-निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध होगा, जो नियोक्ता को भुगतान के लिए प्रस्ताव के साथ व्यापार या अवैतनिक देयों की सूचना देने के लिए सक्षम बनाता है। यह नियोक्ताओं को आज्ञाकारी व्यवहार के लिए बाध्य करेगा और गैर-इरादतन चुककर्ताओं के अनुचित उत्पीड़न को रोकेगा और इंस्पेक्टर राज को खत्म करेगा।

माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क.भ.नि.सं. ने एक लंबा सफर तय किया है तथा अब इसके पास लगभग 6 करोड़ सक्रिय सदस्य, 20 करोड़ सदस्य खाते, 65 लाख पेंशनभोक्ता तथा 12.7 लाख करोड़ की संग्रह राशि है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि पर उच्च दर पर ब्याज देने तथा जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन दावा करने की सुविधा देने के कारण क.भ.नि. सदस्यों का विश्वास हासिल किया है। नौकरी बदलने पर

भविष्य निधि का ऑनलाइन ऑटो ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिससे सदस्यों को और लाभ मिला है। उन्होंने शिकायतों पर सावधानीपूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने पर जोर दिया तथा क.भ.नि.सं. के बेहतर शिकायत पोर्टल की कार्य प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी संबंधितों को 7ए जांच के त्वरित एवं समयबद्ध निपटान का सुझाव भी दिया जिससे कि कामगारों को न्याय मिल सके। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तथा बेस्ट प्रैक्टिस कार्यालयों को अवार्ड मिलने की बधाई दी तथा उम्मीद जाहिर कि क.भ.नि.सं. का हर कार्यालय बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करेगा।

श्री हीरालाल सामरिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि ने अपनी सेवाओं में और सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों हेतु क.भ.नि.सं. की सराहना की, जिसके कारण इसके हितधारकों में विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि कामगार यह मानते हैं कि उनका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि में सुरक्षित है तथा वे क.भ.नि. जमा राशि पर उच्च आय भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत निवेश तंत्र तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सूक्ष्म मॉनिटरिंग की वजह से सुरक्षित निवेश के साथ-साथ उच्च रिटर्न भी सुनिश्चित हुई है। कर्मचारियों को उनके मासिक अंशदान तथा ऑनलाइन दावों की प्राप्ति के संबंध में एसएमएस के कारण क.भ.नि.सं. में उनका विश्वास बढ़ा है।

श्री सुनील बड़थवाल, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने 1952 से क.भ.नि.सं. की यात्रा पर एक संक्षिप्त प्रजेंटेशन दिया तथा पिछले वर्ष के दौरान क.भ.नि.सं. के निष्पादन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क.भ.नि.सं. ने सरकार के तीन सिद्धांतों, यथा ईज ऑफ डुईंग बिज़नेस - नियोक्ताओं तथा क.भ.नि.सं. के बीच मैत्रीपूर्ण एवं ईमानदार संबंध; ईज ऑफ लिविंग फॉर एम्प्लॉईज - डिजिटल इजेशन तथा ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा तथा ऐसा सुशासन मॉडल जो पारदर्शी, परामर्शकारी तथा सहभागी हो, के साथ अपनी नीतियों और सेवाओं को जोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि क.भ.नि.सं. में 'डिजिटल इंडिया' अभियान को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। उमंग ऐप का सर्वाधिक प्रयोग क.भ.नि.सं. द्वारा किया जाता है अर्थात् उमंग ऐप पर 87 प्रतिशत ग्राहक क.भ.नि.सं. के अंशदाता हैं। सितंबर, 2019 में 93 प्रतिशत दावे ऑनलाइन प्राप्त हुए जबकि अक्टूबर, 2017 में यह संख्या मात्र 5 प्रतिशत थी। ईपीएफआईजीएमएस में सुधार करने से त्वरित शिकायत निपटान सुनिश्चित हुआ है तथा अब 92 प्रतिशत शिकायतें 20 दिन के भीतर निपटा दी जाती हैं तथा सीपीग्राम पर क.भ.नि.सं. से संबंधित 98 प्रतिशत शिकायतों का भी 9 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर लोगों से संपर्क तथा प्रतिमाह "निधि आपके निकट" से शिकायतों के संबंध में एक हितधारक - हितैषी तथा संवेदनशील दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सका है। क.भ.नि.सं., आधार के माध्यम से केवाईसी सीडिंग द्वारा डिजिटल इजेशन की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत है। अक्टूबर, 2017 से सितंबर, 2019 तक आधार से जुड़े मोबाइल नंबर में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने 2018-19 में क.भ.नि.सं. के औसत दिन पर भी दी। लगभग 614 करोड़ रुपये अंशदान के रूप में प्राप्त हुआ, 329 करोड़ रुपये लाभार्थियों को अदा किया गया, 302 करोड़ रुपये निवेश किए गए, 416 स्थापनाओं को पंजीकृत किया गया, और 74423 सदस्यों का नामांकन न किया गया और 2604 शिकायतें निपटाई गईं।

इस महत्वपूर्ण दिन पर, क.भ.नि.सं. को 1952 से 2019 तक के ऐतिहासिक सफर का स्मरण करते हुए एक पुस्तिका भी जारी की गई।

समारोह में क.भ.नि.सं. के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों में आंचलिक कार्यालय, हरियाणा, क्षे.का. देहरादून, क्षे.का. आगरा, जिला कार्यालय त्रिशूर को पुरस्कृत भी किया गया। क्षे.का. के.आर. पूरम ऑनलाइन दावा निपटाने में सर्वश्रेष्ठ रहा, क्षे.का. दिल्ली (पूर्व) को यू.ए.एन. में के.वाई.सी. सीड करने में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। दो नई श्रेणियों में क्षे.का. देहरादून को स्वच्छता और क्षे.का. कन्नूर को समय की पाबंदी के लिए पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली आई.टी. टीम पुरस्कार यू.ए.एन. के कामगारों के लिए सुविधा का विकास करने वाली टीम के लिए था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छूट प्राप्त ट्रस्ट का पुरस्कार बी.एच.ई.एल., हैदराबाद भविष्य निधि ट्रस्ट को दिया गया।

समारोह के दौरान क.भ.नि.सं. द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ और सेवाओं पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी जारी की गई।